

बिहार सरकार
स्वास्थ्य निदेशालय
आदेश

आ०सं०-६ / एन०-०३-७६ / २०१५-

/ पटना-१५, दिनांक-

समादेश याचिका संख्या-६७९१ / २०१७ मित्र ए०एन०एम० ट्रेनिंग स्कूल बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में दिनांक-२१.१०.२०१७ को पारित न्यायादेश के अनुपालन में विभागीय आदेश ज्ञापांक-१७३(६), दिनांक-०४.०२.२०१९ द्वारा महावीर इन्स्टीचूट ऑफ ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च, बुद्ध बिहार रोड नं०-३, मुफसिल, गया द्वारा संचालित मित्र ए०एन०एम० ट्रेनिंग स्कूल, ग्राम-कईया, पोस्ट-बुद्धगेरे, मुफसिल, गया-८२३००३ के अन्तर्गत शैक्षणिक सत्र २०१६-१७ के ए०एन०एम० प्रशिक्षणार्थियों का परीक्षा आयोजित करने के निमित्त संस्थान का अध्यतन स्थिति का निरीक्षण हेतु डॉ० एस०के० अमन, अपर निदेशक, मुख्यालय, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया। विशेषज्ञ समिति द्वारा भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप उपलब्ध भौतिक संसाधनों, मानव संसाधनों तथा अन्य सुविधाओं की जांच एवं निरीक्षण कर प्रतिवेदन समर्पित किया गया।

२ - विशेषज्ञ समिति के अनुशंसा के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त मित्र ए०एन०एम० ट्रेनिंग स्कूल, ग्राम-कईया, पोस्ट-बुद्धगेरे, मुफसिल, गया-८२३००३ का शैक्षणिक सत्र २०१६-१७ हेतु मान्यता अवधि में विस्तार प्रदान करते हुए नामांकित ए०एन०एम० प्रशिक्षणार्थियों को परीक्षा में शामिल करने हेतु अनुमति प्रदान किया जाता है।

३ - आदेश में सरकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(डॉ० आर०डी० रंजन)

निदेशक प्रमुख,

स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : ६ / एन०-०८-७६ / २०१५.....८०३ (६)

पटना दिनांक २९/०६/२०१९

प्रतिलिपि:- सचिव, मित्र ए०एन०एम० ट्रेनिंग स्कूल, ग्राम-कईया, पोस्ट-बुद्धगेरे, मुफसिल, गया-८२३००३ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- निबंधक, बिहार परिचारिका निबंधन परिषद, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/विशेष सचिव के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- ~~आई०टी०~~ मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार पटना को विभागीय बैचलाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

25/6/19
निदेशक प्रमुख,
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।